भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 930
गुरुवार, 27 जुलाई, 2023/5 श्रावण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

भारत आने वाले पर्यटकों को बढ़ावा देना

930 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों और अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के आगमन का अलग अलग वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सरकार की प्रमुख नीतिगत पहलों और उन पर मिल रही प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकासशील देशों, विशेष रूप से जहां भारत की तुलना में अधिक पर्यटक जाते हैं, द्वारा अपनाई गई प्रचार रणनीति का कोई अध्ययन किया गया है और भारत आने वाले पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए उनकी कौन सी प्रविधि लागू की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): वर्ष 2019 से 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	भारत में एफटीए (लाख में)
1.	2019	109.3
2.	2020	27.4
3.	2021	15.3
4.	2022 (अ)	61.9

अ: अनंतिम, स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

और वर्ष 2019 से 2021 के दौरान भारत में यात्रा करने वाले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	एनआरआई का आगमन (लाख में)
1.	2019	69.8
2.	2020	35.9
3.	2021	54.8

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

(ख): पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं/पहलें शुरू की हैं:

(i) पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करने के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियां करता है ।

(ii) भारत को आकर्षक पर्यटक स्थल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय देश में वीजा की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है । ई-वीजा योजना अब 167 देशों के नागरिकों के लिए निम्न पांच श्रेणियों में उपलब्ध है:

(क) ई-पर्यटक वीजा,
(ख) ई-व्यापार वीजा,
(ग) ई- चिकित्सा वीजा,
(घ) ई-सम्मेलन वीजा
(ङ) ई-चिकित्सा सहायक वीजा

ई-वीजा 29 प्राधिकृत हवाईअड्डों और 5 प्राधिकृत बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है ।

(iii) ई-वीजा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीजा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है ।

(iv) विशिष्ट रूचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 'निश पर्यटन' उत्पादों का विकास और संवर्धन तथा यह सुनिश्चित करना कि जिन विशिष्ट उत्पादों में भारत को तुलनात्मक लाभ है उनके लिए पर्यटकों द्वारा बार-बार यात्राएं की जाएं ।

(v) बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करने हेतु 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रम चलाना ।

(vi) देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रैकिंग हेतु नई पवर्त चोटियां खोली गई हैं

(vii) पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए 1001/-रु से 7500/-रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12% और 7501/-रु. से अधिक के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर 18% कर दिया गया ।

(viii) पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर आरसीएस उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा चिह्नित एयरलाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । अद्यतन स्थिति के अनुसार इनमें से 53 रूट प्रचालनरत हो गए हैं ।

(ix) आगंतुकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने ''इन्क्रेडिबल इंडिया! विजिट इडिया वर्ष 2023'' घोषित किया है ।

(x) भारत में बौद्ध स्थलों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने बुद्ध के जीवन और भारत में बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थानों/स्थलों पर फोकस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की थी।

(xi) पर्यटन मंत्रालय, भारत और विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों ने लंदन में डब्ल्यूटीएम 2022, मैड्रिड में एफआईटीयूआर 2023, बर्लिन में आईटीबी 2023, दुबई में एटीएम 2023 और फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में आईएमईएक्स 2023 में भाग लिया । इस भागीदारी के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी यात्रा ऑपरेटरों, यात्रा एजेंटों और अन्य विभिन्न हितधारकों के साथ बी2बी बैठक की थी । मंत्रालय ने महामारी के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के स्वागत के लिए भारत की तैयारी के बारे में यात्रा मीडिया को सूचित करने के लिए प्रेस मीट भी आयोजित की । इसके अतिरिक्त भारत पवेलियन ने व्यंजन, निरोगता, योगा, वन्यजीव और विलासिता आदि जैसे निश पर्यटन उत्पादों सहित विविध पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित किया ।

मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की प्रतिक्रिया के रूप में आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों में दर्शाया गया कि 2022 की समान अवधि के दौरान 16.01 लाख एफटीए की तुलना में जनवरी से मई 2023 के दौरान भारत में 37.32 लाख विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) दर्ज किया गया ।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं कराया गया है ।

*****